भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †143

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत के विविध पर्यटन परिदृश्यों को बढ़ावा देना

†143. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री अनन्त नायक:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार करने, वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भारत के विविध यात्रा परिदृश्यों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा राज्य सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा शुरू में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और भारत को वैश्विक पर्यटन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए चयनित स्थानों का राज्य-वार, जिला-वार और स्थान-वार और ओडिशा राज्य विशेष रूप से क्योंझर ज़िले सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ उभरते स्थलों की पहचान की है और यदि हां, तो राज्य-वार तथा जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त उद्देश्य के लिए चयनित पर्यटन स्थल का राज्य-वार और जिला-वार, जिसमें ओडिशा राज्य, विशेष रूप से क्योंझर जिला भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव इन चयनित गंतव्यों के लिए एक अलग कायिक निधि बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का प्रस्ताव वर्ष 2047 तक देश के अंदर पर्यटन को दस गुना तक बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सरकार नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करती है लेकिन एयरलाइनों की प्रचालन संबंधी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। एयरलाइनें द्विपक्षीय करारों के दायरे में सेवा तथा प्रचालन के लिए अपनी इच्छानुसार किसी भी बाजार तथा नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एयरलाइनें यात्रियों की मांग, स्लॉट की उपलब्धता, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता तथा अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर ओडिशा सहित विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

जहां तक वीजा प्रक्रिया के सरलीकरण का संबंध है, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि ई-वीजा सुविधा की शुरूआत भारतीय वीजा प्रणाली को उदार और सरल बनाने के लिए उठाए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। वर्तमान में 31 चिह्नित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 06 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश हेतु 167 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा उपलब्ध है। ई-वीजा वर्तमान में नौ उप-श्रेणियों के तहत उपलब्ध है। ई-वीजा से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, जापान, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को 60 दिनों के लिए पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन तथा चिकित्सा के प्रयोजनों से आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 6 चिह्नित हवाईअड्डों के माध्यम से दोहरे प्रवेश की सुविधा है।

विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा सहित वीजा व्यवस्था का उदारीकरण एवं सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसे सुरक्षा, अंतर्गामी पर्यटन एवं निवेश, द्विपक्षीय संबंधों आदि के मुद्दों पर विचार करने के बाद निष्पादित किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजारों में भारत के आध्यात्मिक गंतव्यों सहित एक समग्र गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है। इन उद्देश्यों को एकीकृत विपणन और संवर्धनात्मक कार्यनीति तथा यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से आपसी तालमेल वाले अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार उद्योग के विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के लगातार संपर्क में रहती है और ओडिशा राज्य सहित भारत के विविध पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए उनसे सुझाव और प्रतिक्रिया लेती है।

(ग) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश -वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश और टेम्पलेट जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने और वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांडिंग एवं विपणन हेतु 50 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है।

(छ): पर्यटन मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

i. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों, जैसे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट (डब्ल्यूटीएम) लंदन, फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो (फिटूर) मैड्रिड, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड हॉस्पिटेलिटी शो (एमआईटीटी) मॉस्को, एशिया पैसिफिक इंसेंटिव्स एंड मीटिंग्स इवेंट (एआईएमई) सिडनी, इंटरनेशनल टूरिज्मसबोर्स (आईटीबी) बर्लिन, अरेबियन ट्रेवल मार्केट (एटीएम) दुबई, इंटरनेशनल मीटिंग एक्सचेंज (आईएमईएक्स) फ्रैंकफर्ट, इंटरनेशनल एंड फ्रेंच ट्रेवल मार्केट (आईएफटीएम) टॉप रेसा पेरिस, जापान एक्सपो, इंटरनेशनल टूरिज्मसबोर्स एशिया (आईटीबी एशिया), सिंगापुर आदि में भागीदारी।

ii. मंत्रालय द्वारा एक बड़े भारतीय डायस्पोरा को अतुल्य भारत का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करने और हर वर्ष अपने पांच गैर-भारतीय मित्रों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'चलो इंडिया' पहल शुरू की गई है।

iii. प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण के लिए चलो इंडिया पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसके अलावा, रेफरल कार्यक्रम के तहत भारत आने वाले एक लाख विदेशी पर्यटकों के लिए नि:शुल्क ई-वीजा की घोषणा की गई थी।

iv. पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 27 सितंबर, 2024 को नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल (www.incredibleindia.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है। अतुल्य भारत कंटेंट हब उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है, जिसे दुनिया भर में उद्योग के हितधारकों (ट्रेवल मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट) द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और जो सभी विपणन और प्रचार संबंधी प्रयासों में अतुल्य भारत के संवर्धन के लिए आवश्यक है। यह नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल एक पर्यटक-केंद्रित, वन-स्टॉप डिजिटल समाधान है, जिसे भारत आने वाले अतिथियों के लिए उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

v. मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया हस्तियों, टूर ऑपरेटरों और विचारकों को आमंत्रित करना।

vi. विदेशों में ये संवर्धन कार्य राज्य सरकारों और 20 चिह्नित भारतीय मिशनों सहित प्रवासी भारतीय मिशनों के सहयोग से किए जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:-

i. पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से संबंधित अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, ताकि अतिथियों को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके।

ii. स्वदेश दर्शन 2.0 की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक उप योजना हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और सुरक्षित गंतव्यों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सभी पर्यटक वैल्यू चेन में पर्यटक अनुभव को बढ़ाने हेतु गंतव्य के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, मंत्रालय ने 4 श्रेणियों यथा (i) आध्यात्मिक पर्यटन, (ii) संस्कृति और विरासत, (iii) जीवंत ग्राम कार्यक्रम, (iv) इको पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल के अंतर्गत 42 गंतव्यों को चिह्नित किया है।

सरकार अंतर्गामी पर्यटन के समुचित विकास हेतु विपणन, संवर्धन और अवसंरचना विकास संबंधी प्रयास निरंतर कर रही है।

****